

डिक्री वमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 400/2018

1. विकास सहारण पुत्र वेदप्रकाश पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी चाहूवाली हाल रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
-वादी

बनाम

1. हरलाल पुत्र नत्थूराम } जाति जाट निवासीयान चाहूवाली हाल रावतसर
2. वेदप्रकाश पुत्र हरलाल } तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. देवीलाल पुत्र हरलाल }
4. दिनेश सहारण पुत्र देवीलाल सहारण पुत्र हरलाल }
5. मनीष सहारण पुत्र स्व० जगदीश पुत्र हरलाल } जाति जाट निवासीयान चाहूवाली
6. सुनिता पत्नी वेदप्रकाश } तहसील टिब्बी हाल रावतसर
7. शारदा पत्नी देवीलाल } तह. रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. विजयलक्ष्मी पत्नी जगदीश }
9. तीजादेवी पत्नी हरलाल }
10. गिरदावरी पुत्री हरलाल पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी ग्रैननगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
11. शर्मिला पत्नी रविकुमार पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी मोहननगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
12. पुनम पत्नी मनीष पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
13. प्रियंका पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी हाल रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14. ममता पत्नी अतुल पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी गोदूवाली ढापी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. रितू पत्नी विक्रम पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी बंगावाली तहसील अंबोहर जिला फाजिल्का।



-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के सनस्र वास्ते इनाफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जानिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री वी जाती है कि वादी विकास सहारण को चक नं० 11 एजी के प०न० 212/365 मु० 52 किला नं० 6,7,14/.076, 15,16,25 प०न० 212/366 मु० 56 किला नं० 5/.152 है० तथा चक नं० 10 एजी के प०न० 214/367 मु० 21 किला नं० 23/1/.152, 24,25, प०न० 215/367 मु० 20 किला नं० 21,22,23, व प्रतिवादी सं० 4 दिनेश सहारण को चक नं० 11 एजी के प०न० 212/365 मु० 52 किला नं० 13/.025, 18, 23, प०न० 212/366 मु० 56 किला नं० 3, 8/.228, 9, 10/2/.228, तथा चक नं० 10 एजी के प०न० 214/367 मु० प्रतिवादी सं० 5 मनीष सहारण को चक नं० 11 एजी के प०न० 212/365 मु० 52 किला नं० 8, 13/.228, 14/.177, 17,24, प०न० 212/366 मु० 56 किला नं० 4,7/.076, तथा चक नं० 10 एजी के प.नं. 214/367 मु० 21 किला नं० 16,17, 18/1/.139, प०न० 215/367 मु० 20 किला नं० 18,19,20 के खातेदार कास्तकार घोषित किये जाकर चक नं० 11 एजी के खाता सं० 82/75 में से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम व चक नं० 10

(54)

एजी के खाता सं० 113/91 में से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक2.3.18.18.अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....2.3.18.18.....को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह स्तनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी